

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

संख्या:- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

कार्यालय भाग-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सई दिन्वी फार्मसी काउन्सिल और इण्डिया, नई दिन्वी द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, आगरा सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने प्रवेश शर्तों एवं सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये एवं विषय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, आगरा सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4134-M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST- ASBARANPUR TRILOCHAN MAHADEV, TEH- KERAKAT, JAUNPUR- 222136

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य विहित विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (द्वैत वर्षीय इकाई) पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसृत कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जास आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विनियम/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, आगरा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों,

निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संख्याएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उच्चशिक्षण संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की इतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त इतिपुति संबंधित संस्था को बरती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण द्वारा पंद्रह वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.ए. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कासौतम को उपलब्ध कराया जाएगा अन्यथा उनके प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीमूलम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-वसिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ डीमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अभिलेख भूमि-भवन, पानीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी.सी.आई.ए./पी.सी.आई.ए. परिषद के मासिकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पूएसड- प्राविद्य/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4609

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

पद्यानाथ/निदेशक M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST- ASBARANPUR TRILOCHAN MAHADEV, TEH- KERAKAT, JAUNPUR- 222136



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

आ.
निदेशी

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2022/10331

लखनऊ: दिनांक: 15/11/2022

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 15/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्याक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मसौदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे सभे निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु गिनांकित शर्तों के अधीन पाठ्याक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4134-M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्याक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सीमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्याक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्याक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्याक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्याक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्य किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बसाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दाखल वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित क्विज/निर्देश प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश वी (क्विज/निर्देश के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साल-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपेक्षिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राविच/परिषद सम्बद्धता/2022/10332-10340

दिनांक: 15/11/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघान्वित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4134-M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक-18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघान्वित संघगत संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निराला की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पुरबतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सम्बन्ध के अनुरूप संस्थान में समस्त संस्थापन (भूमि, भवन, संचय उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, सेमेस्टर विनियमकारी-2015 तथा समय-समय पर निर्गत शासकीयों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रायोजक यात्रा/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गवीनताम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाए गए विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पानीपत काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्तित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बात रापर किया जाता है तथा दूसरे बात के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलियर प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पानीपत काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीकृत आदेश/नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की सम्स्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक छवि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रयोग किया जाने वाला सुनक, कागजात सुनक आदि का चित्रण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण परिषदों हेतु उपयुक्त साहित्य उपलब्ध बनाने के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में संस्था जायदाद व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में कक्षागत/सहायित पाठ्यक्रम को पसारी जाने हेतु निर्वाचन समिति के समस्त उपलब्ध करारों एवं अधिनियम, भूमि-माल, पानीपत उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था जल्द ही का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (नियमित) और उपलब्धिया, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमनवली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मता पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और पानीपत को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक न्यायिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भ्रष्ट, भ्रष्ट, प्रयोगक्षम, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०आई०टी०आई०/पी०आई०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता हटाने का अनुपालन न किये जाने अथवा हटाने का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में विधानानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०स०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

पद्यानाचार्य/निदेशक, M.S.D. COLLEGE OF PHARMACY

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव